



छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर)

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर

बसाईट : www.cgrdc.in, ईमेलआईडी : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

CIN : U45203CT2014SGC001560

कड़िका क्र.-01

आवेदक विभाग का मांग पत्र

जिला बालोद वनमण्डल के परिक्षेत्र डौण्डीलोहारा के अन्तर्गत लोहारा-रेंगाडबरी-जुन्नापानी-चौकीमार्ग के चौड़ीकरण/उन्नयनीयकरण हेतु प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता है जो निम्न है :-

अ. क्र.	जिला	वनमण्डल	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड कानाम	ग्राम का नाम	वन का प्रकार	कक्ष क्रमांक / खसरा क्रमांक	रकबा हे.में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	गुरामी	गुरामी	संरक्षित वन	173	0.10
3	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	डौण्डी	गुरामी	आरक्षित वन	194	2.01
4	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	डौण्डी	रायगढ़	आरक्षित वन	193	1.11
5	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	डौण्डी	माटरी	आरक्षित वन	191	1.22
6	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	भिन्दो	माटरी	संरक्षित वन	307	0.17
7	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	रेंगाडबरी	पुनारकसा	संरक्षित वन	312	0.44
8	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	जुन्नापानी	नंगुटोला	संरक्षित वन	313	0.48
योग :-								5.53

(संजय सूर्यवंशी)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. रो. इ. डेव्ह. कार्पो. लि.
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

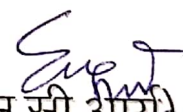
CIN : U45203CT2014SGC001560

तृतीय तल , सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website: www.cgrdc.in, Email: info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

- परियोजना का औचित्य (Justification)
- Online submission copy FORM-I
- Acknowledgment slip

संलग्न है


(एस.सी.ओ.एस.)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर



छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

CIN : U45203CT2014SGC001560

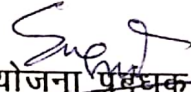
तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर

वेबसाईट : www.cgrdc.in, ईमेलआईडी : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

निर्माण कार्य की आवश्यकता एवं औचित्य लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी मार्ग

छ.ग. शासन का ध्येय सभी जिला मुख्यालयों को ब्लाक मुख्यालय से दो लेन में बारहमासी मार्ग से जोड़ने का है, इसी कड़ी में जिला राजनांदगांव एवं बालोद में स्थित लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क ग्रामीण मार्ग है, जो लोहारा एवं चौकी ब्लाक मुख्यालयों को राजनांदगांव एवं बालोद जिला मुख्यालय से जोड़ता है। वर्तमान में यह 2.80 मी. से 3.75 मी. डामरीकृत सतह की सड़क है, जो कि अत्यंत जर्जर स्थिति में है।

इस मार्ग से विभिन्न प्रकार की व्यावसायिक वस्तुओं का परिवहन एवं आवागमन अधिकतम इसी मार्ग से होता है। मार्ग के बन जाने से जिला राजनांदगांव एवं जिला बालोद के मध्य सीधा सम्पर्क सुगम हो जायेगा। वर्तमान में सिंगल लेन मार्ग होने से यद्यपि यातायात घनत्व कम है, किन्तु भविष्य में दो लेन में उन्नयन हो जाने के कारण यातायात घनत्व की अनुमानित वृद्धि निश्चित है। प्रस्तावित सड़क का निर्माण/उन्नयन मौजूद सड़क के एक रेखण में ही करना है, जिससे कि लागत में भी कमी आयेगी और वृक्षों का विदोहन भी न्यूनतम करना पड़ेगा। चूंकि लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी- चौकी मार्ग का पूर्व निर्मित कुछ भाग वन भूमि से गुजरता है। अतः लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी- चौकी मार्ग के निर्माण हेतु कुल प्रभावित रकबा 5.53 हे. वनभूमि की आवश्यकता है।


परियोजना प्रबंधक

छ.ग. रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन
लिमिटेड रायपुर (छ.ग.)

Email Alert From System Administrator of Online Submission and Monitoring of Forests Clearances Proposal(OSMFCP) portal

monitoring-fc@nic.in <monitoring-fc@nic.in>
To: info.cgrdc@gmail.com
Cc: monitoring-fc@nic.in

Wed, Nov 27, 2019 at 5:06 PM

This is to acknowledge that a proposal seeking prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980 as per the details given below has been successfully reuploaded on the portal of the Ministry of Environment, Forest and Climate Change Government of India.

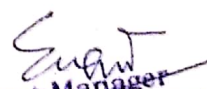
1. **Proposal No.** : FP/CG/ROAD/24943/2017
2. **Proposal Name** : Lohara-Rengadabri-Chowki Road
3. **Category of the Proposal** : Road
4. **Date of Submission** : 29/03/2017
5. **Name of the Applicant with Contact Details**

Name	: SUBHASH
Mobile No.	: 9406127733
State	: Chhattisgarh
District	: Raipur
Pincode	: 492001
6. **Area Applied (ha.)** : 5.53

The same has been forwarded to DFO for the processing.

(System Administrator)

*** This is a system generated email, please do not reply. ***


Project Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

FORM - A

Form for seeking prior approval of Central Government under section 2 of the Forest(Conservation) Act, 1980 for
Diversion of fresh forest area

PART - I

(To be filled up by User Agency)

A. General Details**A-1. Project Details**

(I). Proposal No. : FP/CG/ROAD/24943/2017

(II). Name of Project for which Forest Land is required : Lohara-Rengadabri-Chowki Road

(III). Short narrative of the proposal and Project/scheme for which the forest land is required :
Widening & Upgradation to 2 Lane of Lohara Rengadabri Junapani Chowki Road,

(IV). State : Chhattisgarh

(V). Category of the Project : Road

(VI). Shape of forest land proposed to be diverted : Linear

(VII). Estimated cost of the Project(Rupees in lacs) : 11924.928

(VIII). Total Area of Forest Land proposed for diversion(In ha.): 5.53

(IX). Non-Forest Land required for this project(In ha.): 2.12

(X). Total period for which the forest land is proposed to be diverted(in years): 99

A-2. Details of User Agency

(i). Name : CHHATTISGARH ROAD DEVELOPMENT CORPORATION LIMITED RAIPUR

(II). Address1 : 3RD FLOOR, SIRPUR BHAWAN CAMPUS, BEHIND AKASHWANI, CIVIL LINES, RAIPUR

(III). Address2 : NIL

(IV). State : Chhattisgarh

(V). District : Raipur

(VI). Pin : 492001

(VII). Landmark : NIL

Signed
6/1/2020
(S. C. ARYA)
Project Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

(viii). Email address : info.cgrdc@gmail.com

(ix). Landline Telephone No. : 771-4263242

(x). Fax No. : 771-4033242

(xi). Mobile No. : 9425207316

(xii). Website (if any) : www.cgrdc.in

(xiii). Legal status of User Agency : State PSU

A-3. Details of Person Making Application

(i). First Name: SUBHASH

(ii). Middle Name: CHANDRA

(iii). Last Name: ARYA

(iv). Gender: Male

(v). Designation: PM

(vi). Address 1: 3RD FLOOR, SIRPUR BHAWAN CAMPUS, BEHIND AKASHWANI, CIVIL LINES, RAIPUR

(vii). Address 2: NIL

(viii). State: Chhattisgarh

(ix). District: Raipur

(x). Tehsil: Raipur

(xi). Pin: 492001

(xii). Landmark: NIL

(xiii). Email Address: info.cgrdc@gmail.com

(xiv). Landline Telephone No.: 771-4043397

(xv). Fax No.: 07714033242

(xvi). Mobile No.: 9406127733

S. C. ARYA
26/01/2020
(S. C. ARYA)
Project Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

(xvii). Copy of documents in support of the competence/authority of the person making this application to make application on behalf of the User Agency: 

B. Details of land required for the Project

B-1. Details of proposal seeking prior approval of Central Government under the Act for diversion of forest land for the Project already submitted in the past

List of proposal submitted in Past							
S.no	Proposal Status.	Proposal No.	Moef File No.	Area Proposed for Diversion(Ha.)	Area Diverted(Ha.)	Date of In-Principle Approval	Date of Final Approval
NIL							

B-2. Details of forest land proposed to be diverted

B-2.1 Details of Divisions involved

Details of Divisions involved			
S.no	Division Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Balod	5.53	2.12

B-2.2 Details of Districts involved

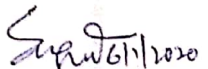
District wise breakup			
S.no	District Name	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1.	Balod	5.53	2.12

B-2.3 Village wise breakup

Villages wise breakup			
S.no	Village	Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Uretha	0	0.0767
2	Gurami	2.11	0
3	Raigarh	1.11	0
4	Matri	1.39	0
5	Bhanvarmara	0	0.1742
6	Arajpuri	0	1.0501
7	Khairkhatta	0	0.3963
8	Punarkasa	0.48	0.2068
9	Rengadabri	0	0.2159
10	Nangutola	0.44	0
11	Junnapani	0	0

B-2.4 Component wise breakup

Component wise breakup	


(S.C. ARYA)
Project Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

06/07/2020

S.no	Component	Report Part 1	
		Forest Land(ha.)	Non-Forest Land(ha.)
1	Road Surface	5.33	2.12
2	Bridge Diversion Area	0.2	0

C. Maps of forest land proposed to be diverted

Division 1. : Balod		
(i). Area of forest land proposed to be diverted(in ha.) : 5.53		
(ii). : Linear		
(b). No. of Segments : One		
Segment wise details		
Segments	Segment Area(in ha.)	Kml File of Segments
1.	5.53	 View File
(iii). Copy of Survey of India Toposheet indicating boundary of forest land proposed to be diverted: 		
(iv). Scanned copy of the Geo-referenced map of the forest land proposed to be diverted prepared by using GPS or Total Station: 		

D. Justification for locating the Project in forest land and details of alternatives examined:

- (i). Copy of note containing justification for locating the Project in forest land: 
- (ii). Whether a copy of map indicating location of alternative examine is required to be provided:
No
- (a). Reason for not providing such map Proposal is for Widening of existing road.

E. Employment likely to be generated

- (i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes
- (ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 12
- (iii). Temporary Employment(Number of person-days): 12000

F. Displacement of People due to the Project, if any.

- (i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

Signed 6/11/2020
(S. C. ARYA)
 Project Manager
 Chhattisgarh Road Development
 Corporation Limited
 Raipur (C.G.)

(a). Reason for not providing such map: Proposal is for Widening of existing road.

E. Employment likely to be generated

(i). Whether the Project is likely to generate employment?: Yes

(ii). Permanent/Regular Employment(Number of persons): 12

(iii). Temporary Employment(Number of person-days): 12000

F. Displacement of People due to the Project, if any

(i). Whether Project involves displacement?: No

G. Details of Cost-Benefit analysis for the Project

(i). Whether the Project requires Cost-Benefit analysis?: No

H. Status of Environmental Clearance

(i). Whether the Project requires Clearance under the Environment (Protection) Act 1986? : No

I. Status of Wildlife Clearance

(i). Whether the Project or a part thereof is located in any Protected Area or their Eco sensitive zone? : No

J. Applicability of special provisions governing Scheduled Areas

(i). Whether the Project or a part thereof is located in a Scheduled Area? : Yes

K. Status of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted

(i). Whether the process for settlement of Rights under the Forest Rights Acts 2006 on the forest land proposed to be diverted has been completed? : Yes

(a). Copy of documentary evidence in support of settlement of rights under the Forest Rights Act, 2006 on the forest land proposed to be diverted: 

L. Details of land identified for Compensatory Afforestation

(i). Whether non-forest or Revenue forest land is required to be provided by User Agency?: No

(ii). Whether the area of non-forest land or Revenue forest land required to be provided by User Agency for raising Compensatory Afforestation is less than area of forest land proposed to be diverted ? : No

(iii) . Reason for not providing Non-Forest Land: Others

Additional information Details

Documents		
S.No	Documents	Remarks
1		Processing Fee
2		Registration Fee
3		Field Panchnama
4		KML PDF Formate
5		NOC Gram Panchayat
6		DGPS Report
7		Land Schedule
8		07 query Clear

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

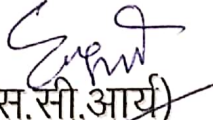
काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कंडिका क्रं.-02

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत नवीन प्रस्ताव की अभिस्वीकृति हेतु प्रमाण-पत्र

आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक छ.ग.सड़क विकास निगम लिमि. रायपुर द्वारा बालोद वनमण्डल अन्तर्गत परिक्षेत्र डौण्डी लोहारा के अन्तर्गत संरक्षित / आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 173,194,193,191,307,312,313 में रकबा 5.53 हे. वनभूमि को लोहारा - रेंगाडबरी - जुन्नापानी -चौकी मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/ROAD/24943/2017 दिनांक 21.06.2017 है।

आवेदक संस्थान से पंजीयन राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल राशि 24000/- डी.डी. क्रमांक 001121,001122 दिनांक 30.05.2017 से वसूल की जाकर उसे चालान क्र.079981630/00040 दि.15.07.2017 द्वारा वनमंडलाधिकारी बालोद के पी.डी.खाता में जमा किया गया है।


(एस.सी.आर्य)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कोड नं. 2210001

Form M.P.T.C.7
(See Subsidiary Rule 69)

चालान क्रमांक

(12)

(42)

खजाना/उप-खजाना/स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बालोद
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया

में पैसा जमा करने का चालान

पैसा जमा करने वाले द्वारा लिखना चाहिए

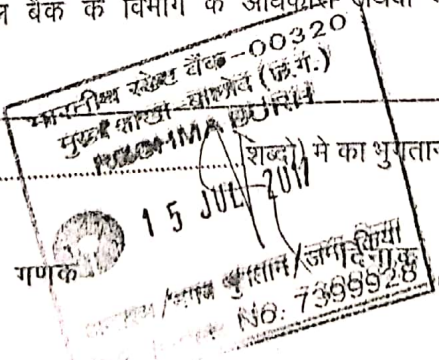
विभागीय अधिकारी द्वारा
लिखना चाहिए

उनका नाम (या ओहदा) और पता जिसकी ओर से जमा किया जा रहा है।	किस बाबत पैसा जमा किया जा रहा है, उसका पूरा विवरण	रकम		लेखा शीर्ष	लेखा अधिकारी जिसने समायोजन किया	बैंक की आदेश
		रु.	पै.			
1	2	3	4	5	6	7
वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद	छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम लिमि. रायपुर द्वारा डौण्डी लोहारा परिक्षेत्र अंतर्गत रेंगाडबरी-जुन्नापानी मार्ग रकबा 1.07 हे. हेतु प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रु. 6000/- एवं प्रसंस्करण शुल्क हेतु रु. 18000/- कुल 24000/- डी.डी. क्र. 001121 एवं 001122 दिनांक 30.05.2017	24000	00	मुख्य शीर्ष 8443 सिविल जमा लघु शीर्ष 106 जमा के अंतर्गत (वनमंडलाधिकारी बालोद)		दिनांक..... ठीक है प्राप्त कर पावती दे (भुगतान प्राप्त करने का आदेश प्रदान करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर पूर्ण पद नाम)
		24000	00	Divisional Forest Officer Baland Division, Baland		

शब्दों में चौबीस हजार रुपये मात्र केवल बैंक के विभाग के अधिकारी अथवा कोषालयाधिकारी द्वारा प्रेषक के मामले में उपयोग किये जाने हेतु

(रुपये)

खजान्ची



शब्दों में का भुगतान प्राप्त किया।

कोषालयाधिकारी

एजेंट

079981630/00040



A/C PAYEE ONLY
NOT NEGOTIABLE

DEMAND DRAFT
VALID FOR 3 MONTHS ONLY
PAYABLE AT PAR AT ALL BRANCHES OF HDFC BANK LTD

3 0 0 5 2 0 1 7

DEMAND PAY TO THE ORDER OF **DIVISIONAL FOREST OFFICER, BALOD**

Or Order

या उन्हे अर्पण

IN WORDS **FOURTEEN THOUSAND ONLY.**

₹

For HDFC BANK LTD.

FC FOR VALUE RECEIVED

JAISTAMBH CHOWK - RAIPUR
RAIPUR - 492001

REC. No. 270613001001
PAYEE BRANCH

ISSUING BRANCH

[Signatures]
AUTHORIZED SIGNATORIES

Please sign above

⑈001122⑈ 492240007⑈ 999990⑈ 16



A/C PAYEE ONLY
NOT NEGOTIABLE

DEMAND DRAFT
VALID FOR 3 MONTHS ONLY
PAYABLE AT PAR AT ALL BRANCHES OF HDFC BANK LTD

3 0 0 5 2 0 1 7

DEMAND PAY TO THE ORDER OF **DIVISIONAL FOREST OFFICER, BALOD**

Or Order

या उन्हे अर्पण

IN WORDS **SIX THOUSAND ONLY.**

₹

For HDFC BANK LTD.

FC FOR VALUE RECEIVED

JAISTAMBH CHOWK - RAIPUR
RAIPUR - 492001

REC. No. 270613001001
PAYEE BRANCH

ISSUING BRANCH

[Signatures]
AUTHORIZED SIGNATORIES

Please sign above

⑈001122⑈ 492240007⑈ 999990⑈ 16

[Signature]
Project Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कांर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

कड़िका क्रं.-03

वन क्षेत्र का विवरण

आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक छ.ग.सड़क विकास निगम लिमि. रायपुर द्वारा बालोद वनमण्डल अन्तर्गत परिक्षेत्र डौण्डी लोहारा के अन्तर्गत संरक्षित एवं आरक्षित वनकक्ष क्रमांक 173, 194, 193, 191, 307, 312, 313 में रकबा है. 5.53 वनभूमि को लोहारा - रेंगाडबरी - जुन्नापानी -चौकी मार्ग निर्माण हेतु प्रस्तावित है।

वनभूमि को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव प्रस्तुत है। वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है।

अ. क्रं.	जिला	वन मण्डल	परिक्षेत्र का नाम	वनखण्ड का नाम	ग्राम का नाम	वन का प्रकार	कक्ष क्रमांक / खसरा क्रमांक	रकबा हे.में
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	गुरामी	गुरामी	आरक्षित वन	173	0.10
3	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	डौण्डी	गुरामी	आरक्षित वन	194	2.01
4	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	डौण्डी	रायगढ़	आरक्षित वन	193	1.11
5	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	डौण्डी	माटरी	आरक्षित वन	191	1.22
6	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	भिन्दो	माटरी	संरक्षित वन	307	0.17
7	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	रेंगाडबरी	पुनारकसा	संरक्षित वन	312	0.48
8	बालोद	बालोद	डौण्डी लोहारा	जुन्नापानी	नंगूटोला	संरक्षित वन	313	0.44
योग :-								5.53

वन का घनत्व :- 5
साईट क्वालिटी :- IV a, IV b

(एस.सी.आर.)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

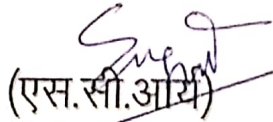
Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

कंडिका क्रं.-04

गैर वनक्षेत्र का विवरण

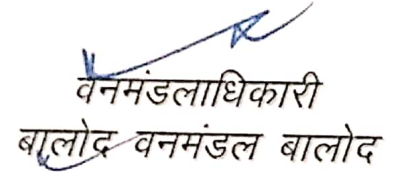
प्रमाणित किया जाता है कि, छ.ग.सड़क विकास निगम लिमि. रायपुर द्वारा लोहारा - रेंगाडबरी - जुन्नापानी - चौकी सड़क निर्माण से प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 5.53 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में गैर वनक्षेत्र का विवरण की आवश्यकता नहीं है।

गैर वन क्षेत्र का विवरण निरंक है।


(एस.सी.आर.)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडल अधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, शिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

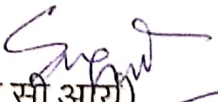
Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

कांडिका क्र.-05

प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपोशीट 1:50000 स्केल पर।

वन क्षेत्र को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के लिए आवश्यक है, प्रस्तावित क्षेत्र का सर्वे ऑफ इंडिया का मूल टोपो शीट स्केल 1:50000 मानचित्र संलग्न है।

सर्वे ऑफ इंडिया टोपोशीट नं. 64D/14, 64H/1, 64H/2, 64H/13 संलग्न है।


(एस.सी.आय)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर
वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल , सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

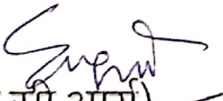
कांडिका क्रं.-06

वन क्षेत्र का इंडेक्स मैप विवरण

वन क्षेत्र को गैर वानिकी उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत वनभूमि प्रस्ताव के लिए आवश्यक है, प्रस्तावित क्षेत्र का वन क्षेत्र का इंडेक्स मानचित्र 1:15000 स्केल पर संलग्न है।

इंडेक्स मैपशीट नं. 64H02/A3, 64H02/A1, 64D14/C1, 64H02/A3, 64H02/A3, संलग्न है।

प्रत्यावर्तन


(एस.सी.आर्य)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

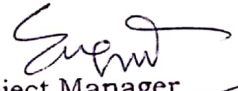
Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

33

कंडिका क्र.-07

प्रपत्र IV में प्रस्ताव

प्रमाणित किया जाता छ.ग.सड़क विकास निगम लिमि. रायपुर द्वारा लोहारा - रेंगाडबरी - जुन्नापानी - चौकी सड़क निर्माण में प्रभावित 5.53 हेक्टेयर वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन के प्रपत्र IV में प्रस्ताव संलग्न।


Project Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

FORM-IV

From for seeking prior approval under section 2 of the proposal by the State Governments and other authorities

1.	Project Details :	
I	Short narrative of the proposal and project/scheme for which the forest land is required.	Widening and up gradation MDR- two lane with hard shoulder from Lohara-Rengadabri-Junnapani-Chowki road under Balod District (C.G.).
II	Map showing the required forest area boundary of adjoining forest and item wise break up of the required forest area for different purpose (to be authenticated by an officer not below the rank of Deputy conservator of Forest)	Enclose maps 1:50000, 1:15000 (Kandika 5,6)
III	Total cost of the Project	(Rupees in lacs) : 11924.928
IV	Justification for locating the project in the forest area giving alternatives examined and reasons for their rejection	People have mor financial and industry work in project.
V	Financial and Social benefits	The above road construction is expected to generate about 12000 man-days. By which people will get employment and road construction will facilitate the movement of people.
VI	Employment Generated	12,000
2 (I)	State / Union Territory	Chhattishgarh
II	District	Balod
III	Forest Division	Balod
	Forest Block	Dondi-Lohara
	Compartment	Enclose (Kandika-3)
	Revenue Forest	Nil
3	Item-wise break up of the total land required for the Project /scheme along with its Existing land use.	1) Reserve Forest = 4.44 ha 2) Protective Forest = 1.09 ha 3) Revenue Forest = 0 ha Total area=5.53 ha
4 (I)	Details of Forest Land involved	Protective Forest & Reserve Forest

II	Details of Flora and Fauna existing in the area	Enclose
III	Density of Vegetation	0-2 to 0-5 IV a, IV b
IV	Species wise and diameter class wise abstract of trees.	Enclose (Kandika-12)
V	Vulnerability of the forest area to erosion, whether it forms a part of a seriously eroded area or not.	It does not form a part of a seriously eroded area.
VI	Whether it forms a part of national park, wildlife sanctuary, nature reserve, biosphere reserve, etc. and if so, details of the area involved (Specific comment of the Chief Wildlife Warden to be annexes)	NO
VII	Item wise break up of the forest land required for the project /scheme for different purpose.	1) Reserve Forest = 4.44 ha 2) Protective Forest = 1.09 ha 3) Revenue Forest = 0 ha Total Area = 5.53
VIII	Rare endangered species of flora and fauna found in the area	NO
IX	Whether it is a habitat for migrating faunal forms a breeding ground for them.	NO
X	Any other significance of the area relevant to the proposal.	NO
5	Details of displacement of people due to the proposal.	NO
I	Total number of families involve in displacement.	NO
II	Number of of scheduled caste / schedule tribe families involved in displacement.	NO
III	Detailed rehabilitation Plan	Not required
6	Details of compensatory a forestation scheme.	Enclose page no.

35

I	Detail of non forest area/ degraded forest area identified for compensatory aforestation, its distance from adjoining forest number of patches, size of each patch.	Enclose page no.
II	Map showing non forest area/ degraded forest area identified for compensatory aforestation, its distance from adjoining forest boundaries.	Enclose page no.
III	Detail compensatory aforestation, scheme including species to be planted, implementing agency, time schedule cost structure etc.	Enclose page no.
IV	Total financial outlay for compensatory a forestation scheme.	Enclose page no.
7	Details regarding transmission Line (Only for transmission Line Proposal)	Not Applicable
I	Total length of the Transmission Line	Not Applicable
II	Length Passing through forest area	Not Applicable
III	Right to Way	Not Applicable
IV	Number of Towers to be erected	Not Applicable
V	Numbers of Towers to be erected in forest area	Not Applicable
VI	Height of transmission towers.	Not Applicable
8	Details of irrigation project	Not Applicable
I	Total catchment area	Not Applicable
II	Total command area	Not Applicable
III	Full reserve on level	Not Applicable
IV	High flood level	Not Applicable
V	Minimum draw level	Not Applicable

(37)

VI	Break-up area failing in catchment area of the project (Forest land, cultivated land, pasture land , human cultivation others)	Not Applicable
VII	Area of submergence at high flood level	Not Applicable
VIII	Area of submergence at full reservoir level.	Not Applicable
IX	Area of submergence at 2 meter below full reservoir level.	Not Applicable
X	Area of submergence at 4 meter below full reservoir level (For medium and major projects only)	Not Applicable
XI	Area of submergence at high flood level.	Not Applicable
XII	Area of submergence at full reservoir level.	Not Applicable
XIII	Area of submergence at 2 meter below full reservoir level.	Not Applicable
XIV	Area of submergence at 4 meter below full reservoir level (For medium and major projects only)	Not Applicable
XV	Area of submergence outlay and details regarding availability of funds for cathment area treatment plant.	Not Applicable
9	Details regarding mining proposal (Only for mining proposal)	Not Applicable
I	Length and width of the strip and forest area required.	Not Applicable
II	Total Length of the Road.	District- Balod , Range- Dondi-Lohara Total Length KM – 42.983 km
III	Length of the road already constructed	Existing Road Length KM – 39.950 km
IV	Length of the road passing through the forest	3.950 km.

10	Details regarding mining proposal (Only for mining proposal)	Not Applicable
I	Total mining lease area and forest required	Not Applicable
II	Period of mining lease proposed	Not Applicable
III	Estimated reserve of each mineral / ore in the forest area and in the non forest area.	Not Applicable
IV	Annual estimated production of mineral/ore.	Not Applicable
V	Nature of mining operation (Open cast/ underground)	Not Applicable
VII	Phased reclamation plan	Not Applicable
VIII	Copy of the Lease Deed (to be attached only for renewal purpose)	Not Applicable
IX	Number of laborers to be employed.	Not Applicable
	Area of forest land required for:	Not Applicable
a.	Mining	Not Applicable
b.	Storing Mineral/Ore	Not Applicable
c.	Dumping of Overburden	Not Applicable
d.	Storing tools and machinery	Not Applicable
e.	Construction of building power stations, workshop etc.	Not Applicable
f.	Township /Housing colony	Not Applicable
g.	Construction of Road/Ropeway/Railway line	Not Applicable
h.	Full land use plan of Forest area required.	Not Applicable
X	Reasons why any of the activities referred to in (a) to (h) above under the project for which forest land has been asked for cannot be undertaken/located outside forest area.	Not Applicable
XI	The extent of damage likely to be caused and the number of	Not Applicable

39

	trees affected on account of mining and related activities.	
XII	Distance of the mining area from perennial watercourses national parks, sanctuaries and biosphere reserves.	Not Applicable
XIII	Procedure for stocking of the top soil for reuse.	Not Applicable
XIV	Extent of subsidence expected in underground mining operations and its impact on water, forest and other vegetation.	Not Applicable
11	Cost-benefit analysis	Enclose page no.
12	Whether clearance from environment angle is required (Yes/No) if yes, whether requisite details for the same have been furnished (Yes/No)	NO
13	Whether clearance from from environmenta angle is required (Yes/No) if yes,	NO
14	Whether requisite details for the same have been furnished (Yes/No) if yes,	NO
I	Details of the same including date of commencement.	Not Applicable
II	Officers responsible for violation of the	Not Applicable
III	Action taken/being taken against erring offers.	Not Applicable
IV	Whether work in violation of the Act is still in progress.	Not Applicable
15	Any other Information	NIL
16	Detailed openion of the Chief Conservator of Forest/ Head of the Forest Department concerned covering the following aspects, namely;	Enclose page no.
I	Out-turn of timber, fuel wood and other forest produce form the forest land involved.	NO
II	Whether the district is self	NO

II	Whether the district is self sufficient	NO
III	The effect of the proposal on	NO
a.	Fuel wood supply to rural population	NO
b.	Economy and livelihood of the tribal and backward communities.	NO
IV	Specific recommendation of the Chief Conservator of Forest/ Head of the Forest Department for acceptance of otherwise of the proposal with reasons thereof:	NO


 (संजय सूर्यवंशी)
 परियोजना प्रबंधक
 छ.ग. रो. इ. डेव्ह. कार्पो. लि.
 रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर)

तृतीय तल, सिन्धु भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर

वेबसाइट : www.cgrdc.in, ईमेलआईडी : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

CIN : U45203CT2014SGC001560

कड़िका क्र.-08

प्रोजेक्ट का विस्तृत टीप

जिला बालोद में लोहारा-रेंगाडबरी-जुन्नापनी-चौकी सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य उद्देश्य लोहारा के आसपास के ग्रामों को जोड़ना है। जिससे रेंगाडबरी एवं आसपास के ग्रामों से लोहारा की ओर आने-जाने वाले वाहनों को कम दूरी तय करने पड़ेगी जिससे यातायात को कम किया जा सकेगा। परियोजना की Executive summary संलग्न हैं।

(संजय सूर्यवंशी)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. रो. इ. डेव्ह. कार्पो. लि.

रायपुर (छ.ग.)



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

कड़िका क्र.-9

क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की राशि जमा करने का वचन -पत्र

संलग्न है।

(एस.सी.ओय)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.

रायपुर

वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल, बालोद



छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर)

तृतीय तल, सिन्धु भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर

वेबसाइट : www.cgrdc.in, ईमेलआईडी : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

CIN : U45203CT2014SGC001560

कड़िका क्र.-09

वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिला-बालोद तहसील डोंडी-लोहारा के अंतर्गत लोहारा-रेंगाडबरी-जुन्नापनी-चौकी सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 5.53 हे. वनभूमि/राजस्व वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्तें लागू की जावेंगी वह मान्य होगी। वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी) उपलब्ध कराने हेतु विभाग वचनबद्ध है।


(संजय सूर्यवंशी)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. रो. इ. डेव्ह. कार्पो. लि.
रायपुर (छ.ग.)

67



छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर)

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर

वेबसाइट : www.cgrdc.in, ईमेलआईडी : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

CIN : U45203CT2014SGC001560

कंडिका क्र.-09

अतिरिक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिला-बालोद तहसील डोंडी-लोहारा के अंतर्गत लोहारा-रेंगाडबरी-जुन्नापनी-चौकी सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 5.53 हे. वनभूमि/राजस्व वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्तें लागू की जावेंगी वह मान्य होगी। अतिरिक्त वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु आवश्यक राशि (वह दर जो अंतिम रूप से भूमि प्रत्यावर्तन के समय लागू होगी) उपलब्ध कराने हेतु विभाग वचनबद्ध है।


(संजय सूर्यवंशी)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. रो. इ. डेव्ह. कार्पो. लि.
रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर)

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर

वेबसाइट : www.cgrdc.in, ईमेलआईडी : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

CIN : U45203CT2014SGC001560

कड़िका क्रं.-10

न्यूनतम वनक्षेत्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिला-बालोद तहसील डोंडी-लोहारा के अंतर्गत लोहारा-रेंगाडबरी-जुन्नापनी-चौकी सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 5.53 है सभी अन्य विकल्पो का पता कर लिया गया है। अपेक्षित वनभूमि की मांग रकबा 5.53 हे. आवश्यक एवं न्यूनतम है तथा इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है।

(संजय सूर्यवंशी)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. रो. इ. डेव्ह. कार्पो. लि.

रायपुर (छ.ग.)



छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

CIN : U45203CT2014SGC001560

69

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

कंडिका क्रं.-11

पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस प्रमाण पत्र

पर्यावरण संरक्षण क्लीयरेंस प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

भारत का राजपत्र भाग-1 खण्ड-3 उपखण्ड-2 संख्या 1067 नई दिल्ली वृहस्पतिवार सितम्बर 14, 2006 / भाद्र 23, 1928 की छायाप्रति संलग्न है।

(एस.सी.आय.)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

✓ K

वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

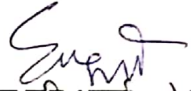
तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

कंडिका क्र.-12

वृक्ष विदोहन विवरण

वृक्ष विदोहन योजना संलग्न है ।


(एस.सी.आय)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

(77)

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, लोहारा

क्रमांक / लोहारा /1243.....
प्रति,

दिनांक 06/04/21

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

द्वारा :- उप वनमंडलाधिकारी, दल्लीराजहरा ।

विषय :- लोहारा-रेंगाडबरी-जुन्नापानी-चौकी (जिला-बालोद) के अंतर्गत मार्ग में प्रभावित होने वाले वन भूमि के वृक्षों की जानकारी ।

=00=

विषयानुसार निवेदन है कि वन परिक्षेत्र, लोहारा अंतर्गत लोहारा, रेंगाडबरी, जुन्नापानी, चौकी (जिला-बालोद के अंतर्गत) मार्ग में प्रभावित होने वाले वन भूमि में स्थित कुल 1691 वृक्षों की फॉर्म ए एवं बी में जानकारी तैयार कर आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर संलग्न संप्रेषित हैं ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार ।

परिक्षेत्र अधिकारी
लोहारा

Form- A

Government of chhattisgarh Department of Forest Diversion of Balod hactear of forest land for 5.530 and area for necessary infrastructural facilities of above

Lohara-Rengadabri-Junnapani-Chowki road road in Balod Forest Division of Chhattisgarh

TOTAL NUMBAR OF TREES AFFECTED Compartment No 312,313,191,193,194,307 (RANGE-LOHARA)

S.No.	Species	Girth class wise											Precent
	Vernacula r name	Botenical Name	21-30	31-45	46-60	61-90	91-120	101-120	121-150	151-180	Above-180	Total	
1	Babool		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2	Saja		9	18	25	46	16	0	3	1	2	120	7.1
3	Senha		2	10	25	12	0	0	0	0	0	49	2.9
4	Bija		0	0	0	3	4	0	3	1	1	12	0.7
5	Sagon		17	13	65	70	17	8	8	3	0	201	11.9
6	Dhawda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7	Other		357	315	335	205	59	0	25	5	8	1309	77.4
Total												1691	100

Divisional Forest Officer
Balod Division, Balod

उप वनमण्डलाधिकारी
दल्ली राजहरा

Range Officer
Lohara

Form- B

Government of chhattisgarh Department of Forest Division of Balod hactear of forest land for 5.530 and area for necessary infrastructural facilities of above
Lpohara-Rengadabri-Junnapani-Chowki road road in Balod Forest Division of Chhattisgarh
VOLUME OF TREES Compartment No 312,313,191,193,194,307 (RANGE-LOHARA)

S.No.	Species	Girth class wise											
	Vernacular name	Botenical Name	21-30	31-45	46-60	61-90	91-120	101-120	121-150	151-180	Above-180	Total	Precent
1	Babool		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
2	Saja		0.082	0.273	0.742	1.865	2.438	0	0.9	0.48	2.52	9.3	8.0
3	Senha		0.018	0.133	0.698	0.91	0	0	0	0	0	1.759	1.5
4	Bija		0	0	0	0.375	1	0	1.5	0.75	1.685	5.31	4.6
5	Sagon		0.425	0.975	8.125	10.766	8.825	0	5	2.875	0	36.991	31.8
6	Dhawda		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
7	Other		3.406	4.631	10.778	17.66	8.854	0	7.019	2.082	8.696	63.126	54.2
Total												116.486	100

Divisional Forest Officer
Balod Division, Balod

उप वनमण्डलाधिकारी
दली राजहरा

Range Officer
Lohara



130

CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

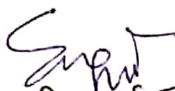
तृतीय तल , सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

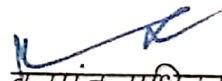
Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

कड़िका क्र.-13

काष्ट बेनिफिट एनालिसिस

In compliance with the Ministry of Environment and Forests (MOEF), letter no. No.7-69/2011-FC(PT) dated 01.08.2017 (The guidelines of the Ministry of Environment and Forests the Government of India are enclosed)


(एस.सी.आर्य)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

(126)

COST BENEFIT ANALYSIS

Project :- Construction of Lohara- Rengadabri-Junnapani - Chowki Road
District & Division - Balod

Total area of forest land in Hectare for diversion - 5.530

Division	Reserve Forest	Protected Forest	Orange Area	Revenue Forest	Total
Balod	4.440	1.090	-	-	5.530

Table-A: Cases underwhich a cost-benefit analysis for forest diversion are required

S. No.	Nature of proposal	Applicable/not Applicable	Remarks
1	All other proposal involving forest land more than 20 ha. In plains and more than 5ha. In hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation projects, mining activity, railway lines, location specific installations like micro-wves stations, auto repeater centre,T.V. Towers, etc.	Applicable	Proposal is for diversion of 5.530 ha. Purpose of Lohara- Rengadabri - junnapani Chowki of Balod Division.

Table-B: Eatimation of Cost of forest diversion

S. No.	Parameters	Remarks
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion.	Economic Value of loss of eco-system services due to diversion of forest shall be the net present Value, hence:- NPV= 5.530ha. 8.03 Lacs/Ha.= 4440590.00
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of	10% of NPV=444059
3	Cost of animal resettlement	Nill as no resettlement is taking place.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads. Building, School, Dispensaies, Electric Line, Railway etc). On forest land if these facilities were diverted due to the project.	Nill ,as there are no such infrastructure facilities that exist and to be removed.
5	Possession Value of forest land diverted.	30% of NPV= 1332177.00
6	Cost of suffering to oustees.	Nill , as there are no oustees.
7	Habitat Fragmentation Cost	50% of NPV=2220295.00

(1205)

- 8 Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost.

Compensatory afforestation-

$$5.530 * 7,26,270/\text{Ha} = 4016273.00$$

Soil & moisture conservation-

Amount required to do complete soil moisture conservation works in all the compartments lying in all the Micro Watersheds, through which the National Highway passes=

S.no.	Comp.No.	Area (ha.)
1	RF - 173	185.300
2	RF- 194	497.340
3	RF-193	177.990
4	RF-191	579.470
5	PF -307	28.840
6	PF-312	106.280
7	PF-313	146.900
Total		1722.120

Hence Amount required for soil moisture conservation works= $5.530 * 8122.29$
ha.=44916264

Divisional Forest Office
Balod Division Balod

Table -C
Cost Benefit Analysis (CBA)

Name of the Project- Lohara-Rengadabri-Junapani-Chowki road

Total proposed area- 5.53 ha

Division-Balod (C.G.)

TABLE C: Existing Guidelines for estimating benefits of forest- diversion in CBA

S.NO	Parameter	Given Guidelines	Evaluation																																																																																																																													
1	Increase in productively attribute to the specific project	To be quantified & expressed in monetary terms avoiding double counting	The proposal project for which diversion of forest land is sought is for widening of existing road. The project road will improve accessibility to the region .This will help in both economic & social development in the region. The project will enable smooth accessibility in the region by which people of the region will be directly benefited. This will accelerate industrialization /commercialization in region and the same will directly generate maximum employment opportunities in these areas and boosting up the economy of the region and state. Again directly the project will have the potential for employment generation for local people 12,000 man days during the construction period. The proposed project does not involve any manufacturing or production. Hence, This section is not applicable. Monetary benefits due to increase in productivity is NIL.																																																																																																																													
2	Benefit to economy due to specific project	The incremental economic benefit in monetary terms due to the activities attributes to the specific project.	Economic benefit in terms of increase in trade, saving in vehicular operation and maintenance cost better connectivity, safer journey to commuter and saving of travel time. Improved road connectivity helps in better implementation and management of government schemes .it will provide last and economical transport of goods, After completion of project, the local people and industries situated in the area will be greatly benefited. The widening of project road will provide safe and fast, economical and environment friendly transportation to the state, which in term will accelerate the rate of growth in this area. Table: Average Daily Traffic. AVERAGE DAILY TRAFFIC SURVEY OF LOHARA REGADABRI JANAPANI CHOUKI ROAD (Date: 10.10.2015 to 16.10.2015) Section : Lohara Regadabri Janapani Chouki Road Direction : Bothways Location: Average of all 2 locations <table><tr><th rowspan="4">Location</th><th colspan="10">Motorised Traffic</th><th colspan="4">Non-Motorised Traffic</th><th colspan="2" rowspan="2">Grand Total</th></tr><tr><th colspan="5">Passenger Vehicles</th><th colspan="3">Goods Vehicles</th><th>Agricultural</th><th>Passenger</th><th colspan="2">Goods Vehicles</th></tr><tr><th rowspan="2">Two Wheeler</th><th rowspan="2">Three Wheeler</th><th rowspan="2">Car/Jeep</th><th rowspan="2">Minibus</th><th rowspan="2">Bus</th><th rowspan="2">Tempo / LCV</th><th colspan="3">Ord.Trucks</th><th rowspan="2">Tractor with Trailer</th><th rowspan="2">Tractor</th><th rowspan="2">Cycle</th><th rowspan="2">Cycle Rickshaw</th><th colspan="2">Animal Drawn</th></tr><tr><th>2 Axle</th><th>3 Axle</th><th>4 Axle</th><th>Horse Drawn</th><th>Hand Cart</th></tr><tr><td>FCU Factor</td><td>0.5</td><td>1.0</td><td>1.0</td><td>1.5</td><td>3.0</td><td>1.5</td><td>3.0</td><td>3.0</td><td>4.5</td><td>4.5</td><td>1.5</td><td>3.5</td><td>2.0</td><td>8.0</td><td>4.0</td><td>3.0</td><td></td><td></td></tr><tr><td>KM 2+700</td><td>2470</td><td>0</td><td>182</td><td>0</td><td>34</td><td>66</td><td>26</td><td>5</td><td>0</td><td>12</td><td>2</td><td>1333</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4160</td><td>2454</td></tr><tr><td>KM 41+200</td><td>2185</td><td>0</td><td>185</td><td>0</td><td>39</td><td>68</td><td>27</td><td>6</td><td>1</td><td>12</td><td>4</td><td>1459</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>3983</td><td>2387</td></tr><tr><td>AVG OF ALL LOCATIONS</td><td>2330</td><td>0</td><td>183</td><td>0</td><td>37</td><td>67</td><td>27</td><td>6</td><td>1</td><td>12</td><td>3</td><td>1406</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>4072</td><td>2421</td></tr></table>	Location	Motorised Traffic										Non-Motorised Traffic				Grand Total		Passenger Vehicles					Goods Vehicles			Agricultural	Passenger	Goods Vehicles		Two Wheeler	Three Wheeler	Car/Jeep	Minibus	Bus	Tempo / LCV	Ord.Trucks			Tractor with Trailer	Tractor	Cycle	Cycle Rickshaw	Animal Drawn		2 Axle	3 Axle	4 Axle	Horse Drawn	Hand Cart	FCU Factor	0.5	1.0	1.0	1.5	3.0	1.5	3.0	3.0	4.5	4.5	1.5	3.5	2.0	8.0	4.0	3.0			KM 2+700	2470	0	182	0	34	66	26	5	0	12	2	1333	0	0	0	0	4160	2454	KM 41+200	2185	0	185	0	39	68	27	6	1	12	4	1459	0	0	0	0	3983	2387	AVG OF ALL LOCATIONS	2330	0	183	0	37	67	27	6	1	12	3	1406	0	0	0	0	4072	2421
Location	Motorised Traffic										Non-Motorised Traffic				Grand Total																																																																																																																	
	Passenger Vehicles					Goods Vehicles			Agricultural	Passenger	Goods Vehicles																																																																																																																					
	Two Wheeler	Three Wheeler	Car/Jeep		Minibus	Bus	Tempo / LCV	Ord.Trucks			Tractor with Trailer	Tractor	Cycle	Cycle Rickshaw	Animal Drawn																																																																																																																	
				2 Axle				3 Axle	4 Axle	Horse Drawn					Hand Cart																																																																																																																	
FCU Factor	0.5	1.0	1.0	1.5	3.0	1.5	3.0	3.0	4.5	4.5	1.5	3.5	2.0	8.0	4.0	3.0																																																																																																																
KM 2+700	2470	0	182	0	34	66	26	5	0	12	2	1333	0	0	0	0	4160	2454																																																																																																														
KM 41+200	2185	0	185	0	39	68	27	6	1	12	4	1459	0	0	0	0	3983	2387																																																																																																														
AVG OF ALL LOCATIONS	2330	0	183	0	37	67	27	6	1	12	3	1406	0	0	0	0	4072	2421																																																																																																														

139

3	No. of population benefits due to specific project	As per Detailed Project Report	The project road passes through tehsil Doundi-Lohara district Balod. Total area of Doundi-Lohara is 954 km ² including 947.88 km ² rural area and 5.93 km ² urban area. Doundi-Lohara has a population of 1,97,411 peoples. There are 40,602 houses in the sub-district. There are about 199 villages in Doundi-Lohara block. This project is being made for rural development and Farmers of rural areas will also have an impact on the economic system.
4	Economic benefits due of direct and indirect employment due to the project	As per Detailed Project Report	A total of 12,000 man day's employment will be generated during construction phase for skilled/unskilled labour. Average wages inclusive of all cost of living is 400 per day. Total financial implication will come out to be 12,000x400 = 48 lacs.
5	Economic benefit due to compensatory afforestation	Benefits from such compensatory forestation accruing over next 50 years monetized and discounted to the present value should be included as benefits of compensatory afforestation. For benefit of CA the guideline of the Ministry of NPV estimation may be consulted.	In lieu of total trees to be removed from proposed Row in forest land along the project road it is proposed to undertake at least twice of affected area as Compensatory afforestation and forest conservation act 1980. So the net productivity will increase. The Compensatory Afforestation will be done in 5.53 hectare of revenue land. Which is down the line would be having a density of minimum 0.4. The ecological value for a 50 years period for the ministry density of 10 is Rs. 126.74 Lakhs per hectare. By considering minimum 0.4 density the ecological gain for the project would be 126.74x0.4x6 = 304.176 Rs. Lacs.


 (संजय सूर्यवंशी)
 परियोजना प्रबंधक
 छ.ग. रो. इ. डेव्ह. कार्पो. लि.
 रायपुर (छ.ग.)



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

140

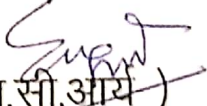
तृतीय तल, शिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

कड़िका क्र.-14

चयनित गैर वन क्षेत्र/निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षर, आदेश)

वन मण्डल बालोद जिला बालोद की गैर वनक्षेत्र की निजी भूमि राजस्व वनक्षेत्र से संबंधित जानकारी की आवश्यकता न होने के कारण जानकारी निरंक है।


(एस.सी.आय)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, शिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

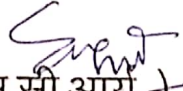
Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

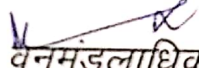
141

कंडिका क्र.-15

गैर वनक्षेत्र के आस-पास क्षेत्र का नक्शा

गैर वन क्षेत्र के आस - पास क्षेत्र का नक्शा की आवश्यकता नहीं है।


(एस.सी.आय)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

142

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कंडिका क्रं.-16

स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, जियो – रिफरेंस मैप अक्षांतर/देशांतर प्रजातिवार विवरण सहित)

संलग्न है।

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

179

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कड़िका क्र.-17

वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

संलग्न है।

N
वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, डौण्डी परिक्षेत्र, डौण्डी (बालोद वनमंडल, बालोद)

क्रमांक / डी.आर. / 430

डौण्डी, दिनांक 05.. / 03 / 2021

प्रति,

वनमंडलाधिकारी
बालोद, वनमंडल बालोद

द्वारा :- उप वनमंडलाधिकारी, दल्लीराजहरा मु0 बालोद ।

विषय :- *Diversion of Forest land for-Non Forest land purpose under Forest Conservation Act 1980 proposed Widening & Upgradation to 2 lane of Lohara-Rengadabari-Junnapani-Chowki Road area 1.07 ha. regarding.*

संदर्भ :- वनमंडलाधिकारी बालोद का पत्र क्रमांक / तक.अधि. / न.क्र. 5-1 / 2021 / 02 बालोद, दिनांक 02 / 01 / 2021

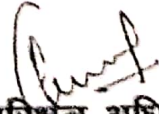
—00—

उपरोक्त संदर्भित विषयांतर्गत निवेदन है कि वन परिक्षेत्र डौण्डी अंतर्गत नारंगी वनखण्ड कामता के खसरा नम्बर 11/1 का कुल रकबा 50.150 हे. में से लोहारा-रेगाडबरी-जुनापानी-चौकी मार्ग में प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्र कुल प्रभावित 5.530 हे. क्षेत्र के विरुद्ध दुगने रकबा 11.060 हे. क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिये छ.ग. सड़क विकास निगम रायपुर द्वारा डी.जी.पी. एस. सर्वे कार्य पूर्ण कराकर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। उक्त स्थल का स्थल उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न कर आपकी ओर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपयुक्तता प्रमाण पत्र।

1. क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वे ऑफ इण्डिया टोपोशीट।
2. क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र का जीओ रिफरेंस मैप।
3. क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र डी.जी.पी.एस. सर्वे।

Received Original copy
05.03.2021
JOYESH MALWIA
C.G.R.D.C. 9827032726


वन परिक्षेत्र अधिकारी
डौण्डी परिक्षेत्र

उपयुक्तता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है वन परिक्षेत्र डौण्डी के अंतर्गत नारंगी वनखण्ड कामता के रकबा 50.150 हे. मे से लोहारा-रेगाडबरी-जुनापानी-चौकी मार्ग में प्रभावित आरक्षित/संरक्षित वनक्षेत्र कुल प्रभावित 5.530 हे. क्षेत्र के विरुद्ध दुगने रकबा 11.060 हे. ^(Patch 1 9.21 ha. + Patch 2 - 1.85 ha.) क्षतिपूर्ति वैकल्पिक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिये छ.ग. सड़क विकास निगम रायपुर द्वारा डी.जी.पी.एस. सर्वे कार्य पूर्ण कराकर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। उक्त स्थल वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है।


वनमंडलाधिकारी,
वनमण्डल, बालोद


उप वनमंडलाधिकारी
उपवनमण्ड, दल्लीराजहरा


वन परिक्षेत्र अधिकारी
डौण्डी परिक्षेत्र

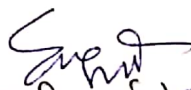
कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

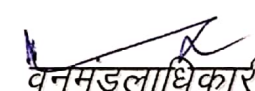
काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कंडिका क्रं.-18

अधिनियम के उल्लंघन के अन्तर्गत कार्यो का विवरण

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण से प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैरवानिकी परियोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।


(एस.सी.आर्य)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

183

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कंडिका क्र.-19

अधिनियम के उल्लंघन के लिये उत्तरदायी अधिकारियों का विवरण

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण से प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैरवानिकी परियोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया गया है।

अतः उल्लंघन के लिए विभाग का कोई भी अधिकारी एवं कर्मचारी जिम्मेदार नहीं है।

(एस.सी.आय.)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

184

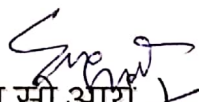
कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कंडिका क्र.-20

उत्तरदायी अधिकारियों के विरुद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण से प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैरवानिकी परियोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत किसी भी अधिकारी एवं कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी प्रस्तावित कार्यवाही नहीं है।


(एस.सी.आर.य.)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

185

छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल , शिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

कंडिका क्रं.-21

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुउपलब्धता मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र

आवश्यकता नहीं है।

(एस.सी.आर्थ)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

156

तृतीय तल, शिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

कंडिका क्र.-22

कैचमेन्ट ट्रीटमेन्ट प्लान

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण से प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैरवानिकी परियोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में ग्रामीण सड़को के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य से संबंधित कच्ची सड़क को पक्की डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अतः कैचमेन्ट एरिया ट्रीटमेन्ट प्लान की आवश्यकता नहीं है।

(एस.सी.आर.)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

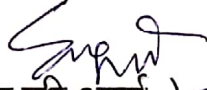
Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

187

कंडिका क्र.-23

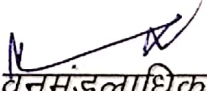
रिक्लेमेशन प्लान

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण से प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैरवानिकी परियोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में ग्रामीण सड़को के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य से संबंधित कच्ची सड़क को पक्की डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस परियोजना हेतु रिक्लेमेशन प्लान की आवश्यकता नहीं है।


(एस.सी.आर्य)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

188

कड़िका क्र.-24

माइनिंग प्लान (I.B.M.) (केवल माइनिंग प्रकरण में)

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण से प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैरवानिकी परियोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में ग्रामीण सड़को के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य से संबंधित कच्ची सड़क को पक्की डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अतः इस परियोजना हेतु माइनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

(एस.सी.आरि)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

189

कड़िका क्र.-25

व्यवस्थापन प्लान

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण से प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैरवानिकी परियोजना हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में ग्रामीण सड़को के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य से संबंधित कच्ची सड़क को पक्की डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त मार्ग निर्माण में किसी भी ग्रामीण का विस्थापन नहीं किया जाना है।

अतः इस परियोजना हेतु व्यवस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

(एस.सी.आर.ए.)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

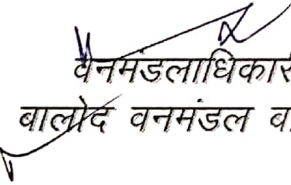
काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

190

कंडिका क्र.-26

वन-अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुसंधान नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV तक)

संलग्न है।


वनमण्डलाधिकारी
बालोद वनमण्डल बालोद

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वन भूमि के लिए अस्थाई अनुज्ञा का प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

(9)

भाग-1

(प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भरे जाने के लिये)

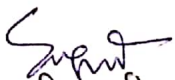
1	परियोजना विवरण :-	
(i)	अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	: लोहारा -- रेंगाडबरी - जुन्नापानी - चौकी मार्ग सड़क निर्माण हेतु आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक छ.ग.सड़क विकास निगम लि. रायपुर के अन्तर्गत चौड़ीकरण/उन्नयनीयकरण हेतु प्रस्तावित है जो कि, आदिवासी बहुल क्षेत्र में बसे आदिवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा, अतिसंवेदनशील क्षेत्र।
(ii)	1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आसपास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाले मैप।	: संलग्न है।
(iii)	परियोजना की लागत।	: परियोजना की लागत लगभग 11924.928 रु. (लाख में) है उपरोक्त वर्णित वन भूमि में मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि प्रस्तावित है।
(iv)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	: आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक सड़क विकास निगम लि. रायपुर द्वारा बालोद वनमंडल के लोहारा परिक्षेत्र अंतर्गत कक्ष क्रमांक पी.एफ. 312,313,307/173 आर.एफ. 173,194,193,191 रकबा 5.530 हे० 1. यह एक बहुत अच्छा सुविधाजनक भूमि है जो कि तकनीकी एवं कम से कम वनभूमि का उपयोग को ध्यान में रखकर किया गया। 2. वन क्षेत्र प्रत्यावर्तित होने से शेष वनभूमि पर किसी भी प्रकार का भू-क्षरण संबंधी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रस्तावित भूमि समतल है तथा इस परियोजना में गहरी खुदाई कार्य नहीं किया जाना है। इस बाबत आवेदक संस्थान का वचन पत्र संलग्न है। 3. कम से कम संख्या में वृक्ष प्रभावित हो रहा है। 4. जिला मुख्यालय से 32 कि.मी. दूरी पर स्थित है। 5. राजस्व भूमि कम उपलब्ध होने के कारण कक्ष क्रमांक पी. एफ. 312,313,307, आर. एफ. 173,194,193,191 रकबा 5.53 हे. को उपयुक्त होने के कारण चयनित किया गया है।
(v)	लागत लाभ विश्लेषण	: संलग्न है।
(vi)	रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	: 12000 मानव दिवस
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण।	: 5.53 हे. न्यूनतम वनभूमि मार्ग चौड़ीकरण/उन्नयनीयकरण के लिए आवश्यकता है।

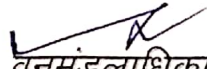
	विवरण।	चौड़ीकरण/उन्नयनीयकरण के लिए आवश्यकता है।
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है।	अनु.जाति-निरंक, अनु.जन जाति- निरंक
(i)	परिवारों की संख्या।	निरंक
(ii)	अनुसूचित जाति/जनजाति परिवारों की संख्या	निरंक
(iii)	पुनर्वास योजना (संलग्न किए जाने के परिवारों की संख्या)	निरंक
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के अंतर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हां/नहीं)	नहीं
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और/ या दण्डस्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाए)	वचन पत्र संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाणपत्र/ दस्तावेजों का ब्यौरा।	: 1. आवेदक विभाग का मांग पत्र : 2. प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण : 3. सर्वे आफ इंडिया की टोपोशीट 1:50000 स्केल पर (मूल प्रति) : 4. संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र : 5. स्थल निरीक्षण रिपोर्ट।

दिनांक :-

स्थान :-बालोद

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं. FR/CG/Road/24943/2017 Dt. 21.6.2017
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)


 (एस.सी.आर्य)
 परियोजना प्रबंधक
 छ.ग. सड़क विकास निगम
 रायपुर


 वनमंडलाधिकारी
 बालोद वनमंडल बालोद

**वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)**

200

भाग- 2

(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :- FP/CG/ROAD/24943/2017 Dt. 21-06-2017

7.	परियोजना/स्कीम का स्थान	आवेदक संस्थान परियोजना प्रबंधक छ.ग.सड़क विकास निगम लि. रायपुर द्वारा परिक्षेत्र डौण्डी लोहारा, के अंतर्गत लोहारा - रेंगाडबरी - जुन्नापानी-चौकी-मार्ग-चौड़ीकरण-उन्नयनीय करण हेतु प्रस्तावित है जो कि, आदिवासी बहुल क्षेत्र में वसे आदिवासियों को मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराया जायेगा,।
(1)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
(2)	जिला	बालोद
(3)	वन प्रभाग	बालोद वनमण्डल बालोद
(4)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	5.530 हेक्टेयर
(5)	वन की कानूनी स्थिति	1. आरक्षित वन रकबा - 4.44 2. संरक्षित वन रकबा - 1.090 3. राजस्व वन का रकबा- 0.00 कुल - 5.530
(6)	हरियाली का घनत्व	.5 साईड क्वालिटी IVa, IVb
(7)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ.आर.एल., एफ.एफ.आर.एल.-2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल.-4 मी. भी संलग्न किये जाए ।	प्रस्तावित मार्ग लोहारा रेंगाडबरी जुनापानी चौकी मार्ग निर्माण हेतु वृक्ष विदोहन प्रस्तावित है।
(8)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू-क्षरण के लिये संवेदनशील नहीं है।
(9)	वनेत्तर प्रयोग के लिये स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	परिक्षेत्र डौण्डी अंतर्गत नारगी वनखण्ड कामता रकबा 11.060 प्रस्तावित किया गया है।
(10)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैवमंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नही
(11)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ / संकटापन्न / विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।	नही
(12)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्ववीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नही

8.	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 कालम 2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग-1 एवं भाग-2 में प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता से सहमत हैं।
9.	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है। (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे हैं।	नहीं
10.	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम पृष्ठ क्र. से तक संलग्न है
(1)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र 5.530 हे. के बदले दुगुने क्षेत्र में वृक्षारोपण हेतु बालोद वनमण्डल के परिक्षेत्र डौण्डी अंतर्गत ग्राम कामता रकबा 11.060 क्षेत्र चयनित किया गया है। क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना मय मानचित्र सहित पृष्ठ क्रमांकसे तक संलग्न है।
(2)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	मानचित्र संलग्न है।
(3)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना मय मानचित्र सहित संलग्न है।
(4)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।	आवश्यकता नहीं
(5)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)	प्रमाण पत्र में संलग्न है।
11.	वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (11,12) 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	संलग्न है।
12	विभाग/जिला प्रोफाइल	
(1)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3605.600 वर्ग कि.मी.
(2)	वनमण्डल का वनक्षेत्र	862.920 वर्ग कि.मी.
	योग :-	862.920 वर्ग कि.मी.
(3)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र।	प्रकरण संख्या 12 रकबा 688.653 हे.
(4)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	
(क)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि	निरंक
(ख)	वनेत्तर भूमि पर।	निरंक
(5)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :-	
(क)	वनभूमि।	231.00 हे. पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।

(ख)	वनेत्तर भूमि पर	155.00 हे. पर प्रतिपूरक वनीकरण किया गया है।
13.	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	जिला बालोद के अंतर्गत लोहारा रेंगाडबरी जुनापानी - चौकी मार्ग चौड़ीकरण निर्माण उन्नयन कार्य किया जाना है। इस मार्ग के निर्माण होने से बालोद शहर में यातायात का दबाव कम होगा, तथा इस मार्ग का चौड़ीकरण निर्माण होने से दुर्ग, दल्लीराजहरा, मानपुर की ओर आने-जाने वाली गाडिया सरलता से तय करेगी। बालोद जिले के यातायात के दबाव को कम किया जा सकेगा। इस प्रकार मार्ग निर्माण से जिले के साथ-साथ प्रदेश एवं सम्पूर्ण भारत लाभान्वित होगा। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव को स्वीकृति हेतु अनुशंसा की जाती है।

स्थल निरीक्षण स्थल- डौण्डीलोहारा -रेंगाडबरी -जुनापानी- चौकी मार्ग
दिनांक:-08/04/2021

वनमंडलाधिकारी,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, बालोद वनमंडल, बालोद (छ.ग.)

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड़, बालोद कार्यालय: फ़ैक्स न० 07749-223904 ई-मेल: dfobalod@yahoo.com

प्रपत्र -3

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन संरक्षक/ व.म.अ. का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन।

1	परियोजना का नाम	लोहारा रेंगाडबरी जुनापानी चौकी मार्ग निर्माण		
2	आवेदक / आवेदक विभाग का नाम	परियोजना प्रबंधक छ.ग. सड़क विकास निगम लि. रायपुर		
3	गैर वानिकी कार्य जिस हेतु वनभूमि की मांग	5.530 हे०		
4	आवेदित क्षेत्र की स्थिति	जिला	वनमंडल	परियोजना स्थल
5	वनभूमि का विस्तृत विवरण	बालोद	बालोद	लोहारा रेंगाडबरी जुनापानी चौकी मार्ग निर्माण
क्र.	आरक्षित वन	वन खण्ड	कक्ष क्र.	क्षेत्रफल
	-----"	गुरामी	173	0.10
	-----"	डौण्डी	194	2.01
	-----"	डौण्डी	193	1.11
	-----"	डौण्डी	191	1.22
ख	संरक्षित वन	मिन्दो	307	0.17
	-----"	रेंगाडबरी	312	0.44
	-----"	जुन्नापानी	313	0.48
योग -				5.530
ग	आरेंज एरिया	0.00	0.00	0.00
घ	राजस्व वन क्षेत्र	0.00	0.00	0.00
6	आवेदित क्षेत्र में वनों की वर्तमान स्थिति प्रकार	.5 साईड क्वालिटी IVa, IVb		
7	आवेदित क्षेत्र में वृक्षों का विवरण	1691 नग वृक्ष संख्या		
8	आवेदित क्षेत्र में प्राकृतिक पुनरुत्पादन की स्थिति	पर्याप्त		
9	आवेदित क्षेत्र के (विशेषकर खनिज प्रकरणों में) मुख्य मार्ग से (पी.डब्ल्यू डी./वनमार्ग आदि) से दुरी(जिसे स्पष्ट रूप से मानचित्र में अंकित करें)	निरंक		
10	क्या आवेदित क्षेत्र किसी इकोलॉजिकल सेनटीव क्षेत्र (राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण बायोरफेयर रिजर्व प्राकृतिक झील वाटर सीमा के 10 वर्ग कि.मी के अंतर्गत है अथवा नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण प्रतिवेदित करें।	निरंक		
11	उपलब्ध है अथवा नहीं (विशेष कर खनिज उत्खनन प्रकरणों में आवेदित क्षेत्र के आस-पास के 20 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में गैरवन क्षेत्र का निरीक्षण कर जिलाध्यक्ष/भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा पूर्व स्वीकृत खदानों की संख्या बतावे। एवं उस मानचित्र पर भी दर्शाया जावे।	निरंक		

12	आवेदित क्षेत्र में आवेदक द्वारा अधिनियम का उल्लंघन किया गया है। या नहीं? यदि हां तो संक्षिप्त विवरण दें।	निरंक
----	--	-------

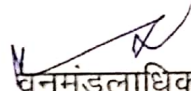
204

प्रमाण- पत्र

उपरोक्त जानकारी/विवरण में मेरे द्वारा किये गये भौतिक निरीक्षण के आधार पर है। आवेदक द्वारा मांग की गई वनभूमि को गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है।

निरीक्षण स्थल :- लोहारा-रेंगाडवरी-जुनापानी-चौकी-मार्ग

दिनांक :- 08.04.2021


वनमंडलाधिकारी,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

205

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, शिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

कांडिका क्र.-27

ऐतिहासिक प्रमाण-पत्र

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा प्रस्तावित लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण से प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है, उक्त मार्ग का पूर्व में निर्मित है, जिसका चौड़ीकरण एवं उन्नयनीयकरण किया जा रहा है। उक्त मार्ग के आस-पास किसी भी प्रकार का ऐतिहासिक महत्व एवं पुरातात्विक का स्थल या मूर्ति चिन्ह नहीं है।

अतः प्रस्तावित वन क्षेत्रमें ऐतिहासिक स्थल नहीं है ।

(एस.सी.आर्य)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT20145GCC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, शिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

कांडिका क्र.-28

संबंधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण-पत्र

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा प्रस्तावित लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण में प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले ग्राम एवं ग्राम पंचायतों का अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है।

(एस.सी.आय)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

पं कार्यालय ग्राम पंचायत भंवरमरा (207) पं

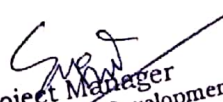
जन्मपद पंचायत डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)

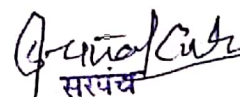


अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिनांक. 14/09/2019

प्रमाणित किया जाता है कि अनाप पंचायत डौण्डीलोहारा
 ग्राम पंचायत डौण्डीलोहारा के अनापानी के पीछी मुख्य मार्ग चौड़ीकरण
 परियोजना के निर्माण हेतु श्राद्धित वन क्षति 1.26 हे. तथा संरक्षित वन
 क्षति 0.22 हे. का करीबमार्ग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन विभाग/संस्था के
 पक्षों के आदेशानुसार परियोजना एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रभावित करने हेतु
 आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार के विषय में ग्राम पंचायत भंवरमरा
 द्वारा दिनांक 13/09/2019 को संपन्न ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य
 एजेन्सी द्वारा आवेदित वन क्षति के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने
 हेतु विस्तृत प्रती की गई। यह कि वन अधिनियम 2006 के
 प्रावधानों के तहत आवेदित वन क्षति में आदिवासी भूधरा विही गैर
 आदिवासी का कच्चा/सूखे क्षति कोप नहीं है। उपरि उक्त सभी ग्रामवासी द्वारा
 एपल विचारणा के उक्त वन क्षति विही की आदिवासी भूधरा गैर आदिवासी
 का कच्चा/सूखे कोप नहीं किया जा रहा है। इस क्षति हेतु परियोजना के
 निर्माण हेतु श्राद्धित वन क्षति पर ग्रामवासियों के प्रापण्ड अधिवारों बाह्य
 नहीं हो रहा है। अर्थात् ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित
 किया गया कि ग्राम मंडली के ग्रामवासियों से उक्त वन क्षति करीबमार्ग रोड
 डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन प्रयोज्य एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने
 पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जाते सत्य सत्य ही है।


 Project Manager
 Chhattisgarh Road Development
 Corporation Limited
 Raipur (C.G.)


 सरपंच
 ग्राम पंचायत-भंवरमरा
 ज.पं.डौण्डीलोहारा (बालोद)


 सचिव
 ग्राम पंचायत भंवरमरा
 ज.पं. डौण्डीलोहारा (बालोद)

पं कार्यालय ग्राम पंचायत-बगईकोन्हा पं

जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)

क्रमांक...136...

दिनांक. 19/09/2019

अनापत्ति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पंचायत डौण्डीलोहारा के अन्तर्गत लोहारा से बेगाडबरी से जुन्नापाकी से चौकी गुरुय मार्ग चंडीकेश परियोजना के अन्तर्गत आरक्षित वन भूमि 2.98 हे. का दृष्टीगत रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन विभाग/सेरवा के पक्ष में भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यागति करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकृति के विषय में ग्राम पंचायत बगईकोन्हा द्वारा दिनांक. 16.09.2019 को सम्बन्धित ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित भूमि में आदिवासी अधिकांशता की शर्त आदिवासी का बच्चा/एभिग्रुम कार्य नहीं है। उपर्युक्त सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ग्राम पंचायत द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि किसी भी आदिवासी अधिकांशता की शर्त आदिवासी का बच्चा/एभिग्रुम कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्राम-वासियों के परंपरागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्व

सम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम-वासियों के ग्राम-वासियों के उक्त वन भूमि दृष्टीगत रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन प्रयोज्य एजेन्सी के परियोजना के निर्माण हेतु दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। प्रमाणित किया जा रहा है।

Project Manager
Chhattisgarh Road Development
Corporation Limited
Raipur (C.G.)

ग्राम पंचायत-बगईकोन्हा
ज.प. डौण्डीलोहारा (बालोद)

ग्राम पंचायत-बगईकोन्हा
ज.प. डौण्डीलोहारा (बालोद)

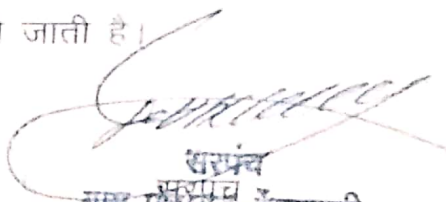
209

कार्यालय सरपंच रेंगाडवरी
ग्राम पंचायत रेंगाडवरी जिला बालोद

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लांहारा, रेंगाडवरी, जूनापानी, चौकी (छत्तीसगढ़) को 2 लेन चौड़ीकरण मय पेव्हड शोल्डर का निर्माण किया जाना है। निर्माण से गुजरने वाली सड़क से ग्राम पंचायत रेंगाडवरी को कोई आपत्ति नहीं है।

लोकहित की इस परियोजना को शीघ्र निर्माण किये जाने की अनुशंसा की जाती है।


सरपंच
ग्राम पंचायत-रेंगाडवरी
ज.पं. डौण्डीलोकरा (बालोद)
ग्राम पंचायत.....

कार्यालय सरपंच जूनापानी

ग्राम पंचायत जूनापानी जिला बालोद

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि लोहारा, रेगाडबरी, जूनापानी, चौकी (छत्तीसगढ़) को 2 लेन चौड़ीकरण मध्य पेव्ड रोड का निर्माण किया जाना है। निर्माण से गुजरने वाली सड़क से ग्राम पंचायत जूनापानी को कोई आपत्ति नहीं है।

लोकहित की इस परियोजना को शीघ्र निर्माण किये जाने की अनुशंसा की जाती है।

लोकेश्वर साहू
सरपंच,
ग्राम पंचायत, जूनापानी
जनपद बंगाल बौण्डी लोहारा
ग्राम जि. बालोद (छ. ग.)

241

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

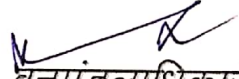
कांडिका क्रं.-29

जिले की कुल वन-भूमि रकबा की जानकारी

बालोद जिला के अन्तर्गत बालोद वनमण्डल के कुल वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है

:-

आरक्षित वन	635.070 वर्ग कि.मी.
संरक्षित वन	112.940 वर्ग कि.मी.
असीमांकित वन	114.910 वर्ग कि.मी.
योग :-	862.920 वर्ग कि.मी.


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

212

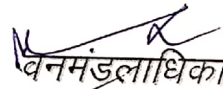
कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कंडिका क्रं.-30

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वन भूमि
रकबा हेक्टेयर में

बालोद जिले के बालोद वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत स्वीकृत
12 प्रकरणों में 688.653 हे. वन भूमि प्रभावित हुआ है ।


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

213

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कड़िका क्र.-31

वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों के इसी श्रेणी के कुल
प्रत्यावर्तित वनभूमि रकबा है. में

जिला बालोद के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत इस कटेगरी (श्रेणी) के
कोई भी प्रकरण वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु स्वीकृत नहीं है। -


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

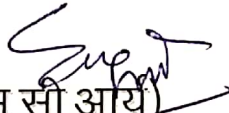
काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

214

कांडिका क्र.-32

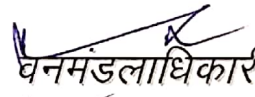
प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है, न ही अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति न होने की जानकारी।

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि. मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य प्राणी अभ्यारण्य या हाथी कारीडोर स्थित नहीं है, अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह/मूर्ति स्थापित नहीं है।


(एस.सी.आर्य)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

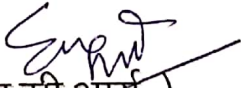
Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

215

कड़िका क्र.-33

15 कि.मी.परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थल का चिन्हांकन
(केवल खनन प्रकरणों में)

आवश्यकता नहीं है ।


(एस.सी.आर्य)

परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

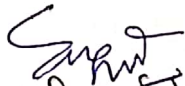
Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

216

कड़िका क्रं.-34

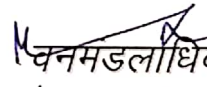
वन अधिकार अधिनियम (F.R.A.) 2006 के अन्तर्गत मान्यता पत्र वितरण की सूची एवं
कलेक्टर का अनापत्ति प्रमाणपत्र
(यदि निरंक हो तो भी प्रमाणित होगा)
(भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का
पत्र क्रमांक / F No.-11-9/1998-Fc, dated 03-08-2009)

प्रमाण-पत्र संलग्न है


(एस. सी. आर्य)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

(217)

F. No. 23011/23/2012-FRA
Government of India
Ministry of Tribal Affairs
FRA Division

F-280, August Kranti Bhawan,
Bhikaji Cama Place, New Delhi-110066

Dated: -

05/04/2019

To,

Shri Sharwan Kumar Verma
Dy. Inspector General of Forests
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Indira Paryawaran Bhawan,
Jor Bagh Road, Aliganj, New Delhi -110003

Subject: - Compliance of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006-regarding

Sir,

I am directed to refer to Ministry of Environment, Forest and Climate Change's (MoEFCC's) letter no. 11-43/2013-FC, dated 26.2.2019 on the above subject and to state that the observations made by the competent authority in Ministry of Tribal Affairs (MoTA) on the said MoEFCC's circular are as under: -

- (1) There is possibility of a contradiction in second last para of the said circular dated 26.2.2019 of MoEFCC. It states "*It is clarified that within the time period stipulated for compliance of stage I condition, Deputy Commissioner shall complete the process of compliance of FRA (including forwarding its findings to the concerned CF)*". However, subsequently, in same para, It states that "*compliance under FRA is not required for consideration of in principle approval*".
- (2) In connection with (1) above, following is stated: -
 - (i) The proposal for diversion of Forest land for non-forest purpose are considered by MoEFCC in two stages. Stage 1 clearance is when in principle approval is given for the project and by the end of stage II, all other statutory and regulatory clearances, such as environment, water etc as mandated have to be obtained by the project proponent. The time lag between stage I and State II varies from 2-3 years

---p24-

(ii) MoTA's view, which was communicated, to MoEFCC after discussion with them, vide OM No. 23011/18/2014-FRA dated 14.12.2015, was that *the above said time period may be effectively utilised by the State Govts in taking steps towards compliance of requirement under FRA and this will then meet the requirements of both FCA and FRA without causing any hindrance to either of the two Acts.*

(iii) Subsequently, however, in the discussion held in the meeting with officers of MoEFCC on 12.01.2018 under the chairmanship of Secretary (TA) to harmonise the working of the two Ministries (MoEFCC & MoTA) to ensure that the rights of the tribals are not affected, the **views arrived at / decisions reached with regard to** obtaining FRA clearance in respect of project was that *'while MoEFCC had maintained that it would be required to be obtained by project proponent at stage II of FCA clearance, the views of MoTA is that this would prove to be fait accompli as by that time the project proponents would have made sufficient progress and the tribals living in the forest area earmarked for use by project would be put to a great disadvantage and it has been seen that many a times the project applies for FRA clearance only in the last minute and this results in the project getting delayed for want of FRA clearance and as such, the project proponent should produce proof of having initiated FRA clearance process at the point of going in for Stage I FCA clearance itself.'* A copy of MoTA's OM No. 23011/04/2013-FRA dated 6.2.2018, forwarding therewith a copy of Record of Discussions held in the above said meeting to MoEFCC, is enclosed for perusal in this regard.

(3) (i) on perusal of para (1) above, in conjunction with para (2)(iii) above, it has been clearly observed by MoTA that mutually agreed / decided views (between MoEFCC & MoTA) to the effect that, proof of having initiated FRA clearance process should be produced at the point of going in for stage I FCA clearance, as already mentioned in para 2 (iii) above, have not been kept in view by MoEFCC while issuing circular dated 26.2.2019.

(ii) Moreover, on perusal of MoEFCC's circular dated 26.2.2019 in conjunction with their own FRA Amendment Rules, 2016, it has also been observed by MoTA that while FCA amendment rules talks of compliance of FRA before Stage I, second last para of circular dated 26.2.2019 talks of Compliance of FRA in the time lag between stage I and stage II clearance.

- 3 -

218

(iii) On further perusal of MoEECC's said circular dated 26.2.2019, it has further been observed by MoTA that the said circular, which is about the stage of compliance of FRA, has been circulated to Principal Secretaries / Secretaries (Forest) of all states / UTs, but it has not been endorsed to MoTA, who is the competent Ministry relating to FRA as per Allocation of Business Rules and as such even if MoEFCC does not insist on compliance to FRA, it cannot be said that this authorises them to violate FRA.

(iv) Violation of FRA is a punishable offence under section 7 of FRA and an authority deemed to be guilty of an offence under FRA are liable to be proceeded against if found that due diligence has not been exercised to prevent commission of such offence.

- (4) Keeping in view of above, MoEFCC is requested to clarify the contradiction, as mentioned in para (1) above and to modify their circular dated 26.2.2019, under reference, in accordance with the discussion held in the meeting with officers of MoEFCC on 12.01.2018 under the chairmanship of Secretary, as already mentioned in para 2(iii) above.

This issues with the approval of Secretary, Ministry of Tribal Affairs.

Yours faithfully,

Uttam Kumar
(Uttam Kumar Kar) 05/4/2019

Under Secretary Govt. of India

Copy to:-

1. The Principal Secretary/Secretary (Forest) All States / UT Govts.
2. The Principal Secretary/Secretary (Tribal Welfare Departments), All states / UT Govts.
3. Prime minister's Office
4. Secretary, Ministry of Mines, Government of India
5. Secretary, Ministry of Coal, Government of India
6. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India
7. Principal Chief Conservator of Forests, All State / UT Governments
8. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate change (MoEF&CC), GOI.
9. Joint Secretary in -Charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, GOI
10. All Assistant Inspector General of Forests / Directors in the Forest Conservation Division, MoEF&CC, GOI/Director, ROHQ, MoEF&CC, GOI/TO(FC)/TO(ROHQ).
11. Technical Director, NIC, MoTA with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
12. Sr. PPS to the Secretary, MoEF&CC
13. Sr. PPS to the Director General of Forest & Special Secretary, MoEF&CC, GOI
14. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GOI.

Government of India
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
(FC Division)

Indira Paryavaran Bhawan
Jor Bagh Road, Aliganj
New Delhi-110003

Dated: 28th February
January, 2019

To,
The Principal Secretary/Secretary (Forests)
All States/UTs Governments

**Sub: Compliance of the Schedule Tribes and Other Traditional Forest Dwellers
(Recognition of Forest Rights) Act, 2006-regarding**

Sir,

I am directed to refer to Forest (Conservation) amendment Rules 2016 as amended on 06th March, 2017 wherein inter-alia it has been provided that:

(e) *the District Collector shall*

(i) *complete the process of recognition and vesting of forest rights in accordance with the provisions of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) for the entire forest land indicated in the proposal.*

(ii) *obtain consent of each Gram Sabha having jurisdiction over the whole or a part of the forest land indicated in the proposal for the diversion of such forest land and compensatory and ameliorative measures, if any, having understood the purposes and details of diversion, wherever required; and*

(iii) *forward his findings in this regard to the Conservator of Forests*

(f) *the entire process referred to in clause (e) shall be completed by the District Collector within the time period stipulated in these rules for grant of in-principle approval under the Act to the proposal.*

(g) *the Conservator of Forests shall examine the factual details and feasibility of the proposal, carry out site inspection in case the area of forest land proposed to be diverted is more than forty hectares, and forward the proposal along with his recommendations to the Nodal Office.*

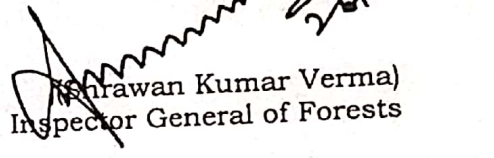
I am also directed to refer to references/communications received from various State Governments seeking clarification on whether FRA certificate is to be submitted before Stage-II compliance or it has been submitted along-with proposal for seeking Stage-I approval.

It is clarified that within the time period stipulated for compliance of stage-I

condition, Deputy Commissioner shall complete the process of compliance of FRA (including forwarding its findings to the concerned CF). Hence for the purpose of the MoEF&CC, as per the provision under Forest (Conservation) amendment rules, 2016 the compliance under FRA is not required for consideration of in-principle approval. This has to be furnished by the state Govt. for consideration of the proposal by the ministry for final approval.

In view of the above, the State Governments are requested to adhere the provisions contained in Forest (Conservation) Amendment Rules, 2016 for FRA purpose while forwarding the proposal for seeking prior approval under Section 2 of Forest(Conservation) Act,1980 to this Ministry for consideration.

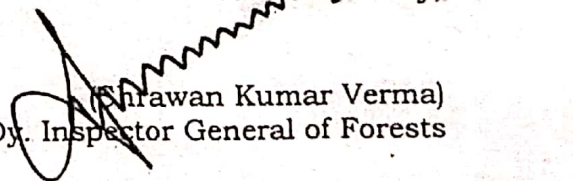
Yours faithfully,


(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

Copy to:

1. Prime Minister's Office
2. Secretary, Ministry of Mines, Government of India
3. Secretary, Ministry of Coal, Government of India
4. Secretary, Ministry of Petroleum and Natural Gas, Government of India
5. Principal Chief Conservator of Forests, all State/UT Governments
6. Nodal Officer, the Forest (Conservation) Act, 1980, all State/ UT Governments
7. All Regional Offices, Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC), GoI.
8. Joint Secretary in-charge, Impact Assessment Division, MoEF&CC, GoI
9. All Assistant Inspector General of Forests/ Directors in the Forest Conservation Division, MoEF&CC, GoI/Director, ROHQ, MoEF&CC, GoI/TO(FC)/TO(ROHQ).
10. Sr. Director (Technical), NIC, MoEF&CC with a request to place a copy of the letter on website of this Ministry.
11. Sr. PPS to the Secretary, MoEF&CC
12. Sr. PPS to the Director General of Forest & Special Secretary, MoEF&CC, GoI
13. Sr. PPS to the Addl. Director General of Forests (Forest Conservation), MoEF&CC, GoI.

Yours faithfully,


(Shrawan Kumar Verma)
Dy. Inspector General of Forests

o/c



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल , सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

कड़िका क्रं.-35

कलेक्टर द्वारा राजस्व वनभूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रमाणपत्र

राजस्व विभाग के अन्तर्गत राजस्व वनभूमि प्रभावित नहीं हो रही है। प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

(एस.सी.आर)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी

बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय तहसीलदार डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)

222

// ज्ञापन //

क्रमांक / १० / प्र.तह. / 2020
प्रति,

डौण्डीलोहारा, दिनांक 06 / 01 / 2020

परियोजना प्रबंधक
छ.ग.रोड डेव्ह.कार्पो.लि.
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- लोहारा-रेगाडबरी-जुन्नापानी-चौकी सड़क चौड़ीकरण हेतु वनभूमि 5.53 हे.
व्यपवर्तन के संबंध में
सन्दर्भ:- आपका पत्र क्र./3288/छ.ग.रो.डे.का.लि./2019 रायपुर दिनांक 27.11.2019

—000—

संदर्भित विषयांतर्गत लोहारा-रेगाडबरी-जुन्नापानी-चौकी सड़क चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण निर्माण अन्तर्गत राजस्व वनभूमि एवं जंगल झाड़ी प्रभावित हो रही है या नहीं हो रही है के संबंध में प्रमाण पत्र चाहा गया था।

उक्त संबंध में हल्का पटवारियों द्वारा प्रतिवेदन लिया गया प्रतिवेदन अनुसार सड़क चौड़ीकरण / उन्नयनीकरण निर्माण अन्तर्गत ग्राम रायगढ़, माटरी, भंवरमरा, अरजपुरी, पुनारकसा, खैरकट्टा, जुन्नापानी, रेंगाडबरी एवं उरेटा में राजस्व वनभूमि एवं जंगल झाड़ी प्रभावित नहीं हो रही है।

तहसीलदार
डौण्डीलोहारा
डौण्डीलोहारा, जिला-बालोद (छ.ग.)



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

कांडिका क्र.-36

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा प्रस्तावित लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण में प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन हेतु वन विभाग द्वारा जो भी प्रत्यक्षा शुल्क निर्धारित किया जायेगा, छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर द्वारा प्रत्याशा शुल्क भूगतान करने हेतु विभाग वचनबद्ध है।

प्रमाण पत्र संलग्न है।

(एस.सी.आर्य)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल , सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

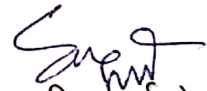
Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

22/11

प्रमाण-पत्र

CAMPA FUNDS में शुल्क जमा करने हेतु

प्रमाणित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा प्रस्तावित लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण में प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु प्रत्यावर्तन हेतु वन विभाग द्वारा प्रत्यक्ष शुल्क निर्धारित किया जायेगा, उक्त राशि को निर्देशानुसार CAMPA FUNDS में विभाग के द्वारा जमा किया जायेगा।


(एस.सी.आर्य)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

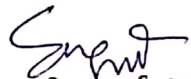
225

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email-dfobalod@yahoo.com

कंडिका क्र.-37

Clearance under FC Act. 1980 : Deposition of funds with the Ad-hoc CAMPA :
Remittances to precede 2nd stage clearance.

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा प्रस्तावित लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण में प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैर वानिकी हेतु प्रत्यावर्तन हेतु वन विभाग द्वारा प्रत्यक्षा शुल्क जमा राशि को Ad-hoc CAMPA FUNDS में जमा किया जायेगा।


(एस.सी.आर्य)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



छत्तीसगढ़ रोड एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड

(पूर्व में छत्तीसगढ़ रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड रायपुर)

तृतीय तल, सिरपुर भावन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाईन्स, रायपुर

वेबसाइट : www.cgrdc.in, ईमेलआईडी : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

CIN : U45203CT2014SGC001560

226

कांडिका क्र. 39

नेट प्रजेंट वेल्यु शुल्क देने हेतु वचन पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि जिला-बालोद तहसील डोंडी-लोहारा के अंतर्गत लोहारा-रेंगाडबरी-जुन्नापनी-चौकी सड़क चौड़ीकरण एवं निर्माण कार्य के लिए वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रभावित वनभूमि का कुल रकबा 5.53 हे. वनभूमि/राजस्व वन क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत व्यपवर्तन हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा जो भी शर्तें लागू की जावेंगी वह मान्य होगी। वन भूमि की नेट प्रजेंट वेल्यु शुल्क एवं भविष्य में अतिरिक्त नेट प्रजेंट वेल्यु शुल्क देने हेतु विभाग वचनबद्ध है।

(संजय सूर्यवंशी)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. रो. इ. डेव्ह. कार्पो. लि.

रायपुर (छ.ग.)

228



CIN : U45203CT20145GCO01560

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

कॉडिका क्र.-38

"A detailed note on Soil Productivity or the lack of it"

वन मंडल बालोद, जिला बालोद के अन्तर्गत, प्रस्तावित मार्ग लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण में प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि प्रभावित हो रही है, इस क्षेत्र में बायोटाईट सिस्ट, क्लोराईट माईकासिस्ट आदि पायी जाती है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

(एस.सी.आर्घ)
 परियोजना प्रबंधक
 छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
 रायपुर

वनमंडलाधिकारी
 बालोद वनमंडल बालोद

(230)

कार्यालय सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी राजनांदगांव

कमांक / मि. नमूना / परी. / 2020-21 /
प्रति,

284

राजनांदगांव दिनांक 22.3.21

छत्तीसगढ़ सड़क विकास निगम
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- मिट्टी नमूना के परीक्षण परिणाम प्रदाय करने बाबत।
विषयान्तर्गत निम्नानुसार मृदा परीक्षण परिणाम आपकी ओर सम्प्रेषित हैं -

क्र	प्रोजेक्ट का नाम	मृदा परीक्षण परिणाम											
		pH	EC	OC	N	P	K	S	Zn	B	Fe	Mn	Cu
	2	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	लोहारा -	5.8	0.39	0.54	312	11.1	426	12.6	0.48	0.45	18.21	28.54	5.401
	रेन्गाडबरी -												
	चौकी रोड	अम्लीय	सामान्य	मध्यम	मध्यम	मध्यम	उच्च	पर्याप्त	अपर्याप्त	अपर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त	पर्याप्त

सहायक मिट्टी परीक्षण अधिकारी
RAJNANDGAON (C.G.)
राजनांदगांव



CIN : U45203CT2014SGC001560

छत्तीसगढ़ रोड़ डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल , सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771 -4043395, Fax 0771- 4033242

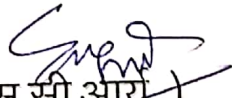
(23)

कंडिका क्र.-39

परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना मार्ग लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण में प्रस्तावित मार्ग की किसी भी प्रकार की भूमि पर कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, प्रस्तावित परियोजना का कार्य वन संरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत स्वीकृति जारी होने पर ही किया जावेगा।


(एस.सी.आय)

परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

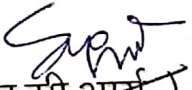
232

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कंडिका क्र.-40

Diversion of large area (more then 500 ha.) of forest land for minig and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act. 1980 - Stipulation of additional condition (The user agency shall establish and operate a Vocational Training Institute)

प्रस्तावित प्रकरण कंडिका क्रमांक-40 के अंतर्गत नहीं आता है ।


(एस.सी.आर्य)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

237

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कंडिका क्रं.-41

// पंजीयन क्रमांक - पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण //

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक FP/CG/ROAD/24943/2017 है

आवेदक संस्थान से पंजीयन राशि एवं प्रोसेसिंग शुल्क कुल राशि 24000/- डी.डी. क्रमांक 001121, 001122 दिनांक 30.05.2017 से वसूल की जाकर उसे चालान क्र. 079981630/00040 दि. 15.07.2017 द्वारा वनमंडलाधिकारी बालोद के पी.डी.खाता में जमा किया गया है।

(एस.सी.आय.)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

[illegible]

बालोद
बनमण्डल बालोद, (१०५)



CIN : U45203CT2014SGC001560

235

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

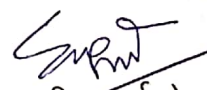
तृतीय तल, सिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

कॉडिका क्र.-42

वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्य प्राणी) का अभिमत (विशेष कर खनन प्रकरणों में)

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा प्रस्तावित लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण में प्रभावित 5.53 हे. आरक्षित एवं संरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, प्रभावित क्षेत्र के 10 किमी. की परिधि पर किसी भी प्रकार का वन्य-प्राणी प्रभावित नहीं हो रहा है, इस कारण से मुख्य वन संरक्षक का (वन्य प्राणी) अभिमत की आवश्यकता नहीं है।


(एस. सी. आर्य)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर


वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद



छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर

तृतीय तल, शिरपुर भवन परिसर, आकाशवाणी के पीछे, सिविल लाइन, रायपुर

Website : www.cgrdc.in, Email : info@cgrdc.in, info.cgrdc@gmail.com, Phone 0771-4043395, Fax 0771-4033242

CIN : U45203CT2014SGC001590

कॉडिका क्र. 43

विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों में एक स्थल से दुसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्पों में न्यूनतम प्रभावित वन क्षेत्र का विवरण

छत्तीसगढ़ रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर, द्वारा प्रस्तावित लोहारा-रेंगाडबरी-जूनापानी-चौकी सड़क निर्माण में प्रभावित 5.53 हे. वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन व्यपवर्तन प्रस्ताव ग्रामीण सड़क के चौड़ीकरण एवं उन्नयन कार्य से संबंधित है, जिसमें सड़क को पक्की डामरीकरण किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त प्रस्ताव से विद्युत लाईन प्रभावित नहीं हो रही है।

(एस.सी.आय.)

परियोजना प्रबंधक

छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमंडलाधिकारी
बालोद वनमंडल बालोद

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल बालोद

237

काष्ठागार परिसर, दल्लीराजहरा रोड, बालोद, फोन नं. 07749-223904 Email- dfobalod@yahoo.com

कडिका क्र.-45

प्रस्ताव में अन्य (MISC) कमियों का विवरण

निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव तैयार किया गया है। प्रस्ताव में अन्य कमी नहीं है।

(एस.सी.आर्थ)
परियोजना प्रबंधक
छ.ग. सड़क विकास निगम लि.
रायपुर

वनमण्डलाधिकारी
बालोद वनमण्डल बालोद